



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032022-233784
CG-DL-E-02032022-233784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837]
No. 837]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

का.आ. 867(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3983 (E) दिनांक 27 सितंबर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बल्लारी जिले में NH-63 के कि.मी. 280.080 से कि.मी. 375.450 (एसएलएओ कार्यालय, वार्ड नंबर-34, चौथा मेन रोड, पांचवां क्रॉस, गंगा परमेश्वरी कल्याण मंडप के सामने, वी. भीमन्ना निलयम, विद्या नगर, बल्लारी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" और "प्रजावानी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुई है

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बल्लारी जिले में NH-63 के कि.मी. 280.080 से कि.मी.375.450 (एसएलएओ कार्यालय, वार्ड नंबर-34, चौथा मेन रोड, पांचवां क्रॉस, गंगा परमेश्वरी कल्याण मंडप के सामने, वी. भीमन्ना निलयम्, विद्या नगर, बल्लारी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बल्लारी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: होसपेट				
	गांव का नाम: अमरावती				
1	490	निजी(गैर कृषि)	सूखा	0.002	एँस्.नीलकंठ शेट्टी एँस्/ओ शंकरप्पा शेट्टी (पार्क क्षेत्र, सड़क, सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य और वाहन पार्किंग के साथ) (490/1)
2	490	निजी(गैर कृषि)	सूखा	0.0162	1.एँन्.सतीश कुमार गुप्ता एँस्/ओ लेयट एँन्. तिरुकप्पा शेट्टी 2. एँन्.नीला क्रिष्णा एँस्/ओ लेयट एँन्. तिरुकप्पा शेट्टी 3. एँन्.बालाजी गुप्ता एँस्/ओ लेयट एँन्. तिरुकप्पा शेट्टी 4. आनरबल गभर्नर् आफ् कर्णाटक, आन् बिहेफ् आफ् द गभर्मन्ट् आफ् कर्णाटक - रैप्रजैन्ट् डै तहसीलदार, होसपेट आन् बिहेफ् आफ् डैप्यटी कमिषनर्, बल्लारी (पार्क क्षेत्र, सड़क, सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य और वाहन पार्किंग के साथ) (490/2)

3	490	निजी(गैर कृषि)	सूखा	0.0162	ऐसेयच्. गुदेकोटा स्त्रीनिभास् एँस्/ओ सेना हनमंतप्पा (पार्क क्षेत्र, सड़क, सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य और वाहन पार्किंग के साथ) (490/5)
4	490	निजी(गैर कृषि)	सूखा	0.1052	ऐसेयच्. गुदेकोटा स्त्रीनिभास् एँस्/ओ सेना हनमंतप्पा (पार्क क्षेत्र, सड़क, सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य और वाहन पार्किंग के साथ) (490/6)
5	490	निजी(गैर कृषि)	सूखा	0.089	ऐसेयच्. गुदेकोटा स्त्रीनिभास् एँस्/ओ सेना हनमंतप्पा (पार्क क्षेत्र, सड़क, सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य और वाहन पार्किंग के साथ) (490/7)
6	501	सरकारी(सरकार)	रल्ला गुट्टा	0.3036	सरकार रल्ला गुट्टा (501)
			कुल	0.5322	

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

S.O. 867(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 3983 (E), dated 27th September, 2021** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-63 on the stretch of land from Km. 280.080 to Km. 375.450 (SLAO office, Ward No-34, 4th Main Road, 5th Cross, Opposite Ganga Parameshwari Kalyana Mantapa, V. Bheemanna Nilayam, Vidya Nagar, Ballari) in the district of BALLARI in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Times of India**” and “**Prajaavani**” both dated 22nd October 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No objections has been received from any person by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 280.080 to Km. 375.450 of NH-63 (SLAO office, Ward No-34, 4th Main Road, 5th Cross, Opposite Ganga Parameshwari Kalyana Mantapa, V. Bheemanna Nilayam, Vidya Nagar, Ballari) in the district of BALLARI in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA District: BALLARI					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hosapete				
	Village: Amaravathi				
1	490	Private(Non Agricultural)	Dry	0.002	S.Neelakantha Shetty S/o Shankrappa Shetty (Along with Park area, Road, Public Utility purpose and Vehicle Parking) 490/1
2	490	Private(Non Agricultural)	Dry	0.0162	1.N.Satish Kumar Gupta S/o Late N. Tirukappa Shetty 2. N.Neela Krishna S/o Late N. Tirukappa Shetty 3. N.Balaji Gupta S/o Late N. Tirukappa Shetty 4. Honorable Governor of Karnataka, on behalf of the Government of Karnataka - Represented by Tahsildar, Hosapete on behalf of Deputy Commissioner, Ballari (Along with Park area, Road, Public Utility purpose and Vehicle Parking) 490/2
3	490	Private(Non Agricultural)	Dry	0.0162	Sh. Gudekota Srinivas S/o Sanna Hanmanthappa (Along with Park area, Road, Public Utility purpose and Vehicle Parking) 490/5
4	490	Private(Non Agricultural)	Dry	0.1052	Sh. Gudekota Srinivas S/o Sanna Hanmanthappa (Along with Park area, Road, Public Utility purpose and Vehicle Parking) 490/6
5	490	Private(Non Agricultural)	Dry	0.089	Sh. Gudekota Srinivas S/o Sanna Hanmanthappa (Along with Park area, Road, Public Utility purpose and Vehicle Parking) 490/7
6	501	Government	Ralla Gutta	0.3036	Government Ralla Gutta 501
			TOTAL	0.5322	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3D]

RAJESH GUPTA, Director